मूल कर्तव्य (Fundamental Duties) UPSC 2026 – FREE PDF Download | Prelims & Mains PYQs + Complete Notes | M. Laxmikant Chapter 10

पढ़ने का समय: लगभग **14** मिनट

परिचय: क्या हमारे पास अधिकार हैं, लेकिन कर्तव्य भूल गए? (Introduction)

क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे लोकतंत्र में, जहाँ हमें सबसे ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, वहाँ सड़क पर कूड़ा फैलाना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना आम बात क्यों है? क्या अधिकारों की यह भरमार हमें जिम्मेदार नागरिक बनने से रोक रही है?

यह सवाल हमें ले जाता है **M. Laxmikant** के अध्याय **10 - "**मूल कर्तव्य**"** की ओर। UPSC की दृष्टि से यह टॉपिक प्रीलिम्स में फैक्ट-ओरिएंटेड है (जैसे कि कौन सी अनुसूची, किस समिति की सिफारिश), लेकिन मेंस **(GS-II, GS-IV,** और निबंध**)** में यह एक "क्रॉस-कटिंग थीम" बनकर उभरता है। यहाँ आपको यह दिखाना होता है कि कैसे व्यक्तिगत कर्तव्यों का पालन राष्ट्रीय विकास, सामाजिक सद्भाव और सुशासन की आधारशिला है।

मूल कर्तव्य: संवैधानिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मूल कर्तव्य हमारे संविधान का एक ऐसा हिस्सा हैं, जो मूल रूप से (1950 में) लागू नहीं थे। यह एक बड़ी कमी थी कि हमारे पास नागरिकों के अधिकार तो थे, लेकिन उनके कर्तव्यों की कोई स्पष्ट सूची नहीं थी।

upscnoteshindi.in - Study Notes (Do Not Copy)

स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश **(1976):**
M. Laxmikant (भारतीय राजव्यवस्था**,** अध्याय **10)** के अनुसार**,** 1976 में कांग्रेस पार्टी ने स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। इस समिति ने सिफारिश की कि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाए। [यहाँ एक टाइमलाइन बनाएं: 1975-77 आपातकाल -> स्वर्ण सिंह समिति -> 42वां संशोधन]

42वां संशोधन अधिनियम **(1976) - "**मिनी कंस्टीट्यूशन**":**
इसी समिति की सिफारिश पर, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में **42**वें संशोधन अधिनियम**, 1976** के माध्यम से भाग **IV-A** और अनुच्छेद **51A** को जोड़ा गया। शुरुआत में इनकी संख्या **10** थी।

86वां संशोधन अधिनियम **(2002) - 11**वां कर्तव्य**:**
M. Laxmikant (अध्याय **10)** के अनुसार**,** 2002 में **86**वें संशोधन के माध्यम से एक नया कर्तव्य (क) जोड़ा गया, जो शिक्षा के अधिकार (RTE) से जुड़ा था। अब कुल **11** मूल कर्तव्य हैं।

11 मूल कर्तव्यों का विश्लेषण**:** एक **Aspirant** का परिप्रेक्ष्य

यहाँ मैं इन 11 कर्तव्यों को तीन श्रेणियों में बाँटकर समझाऊंगा, जैसा कि मेरे एक सीनियर **(**जो अब **IRS** हैं**)** ने बताया था कि मेंस में इससे बेहतर स्ट्रक्चर नहीं हो सकता।

श्रेणी **1:** राष्ट्रीय प्रतीकों और विचारधारा के प्रति कर्तव्य **(**अनुच्छेद **51A (a), (b), (c))**

- **(a)** संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना**:** यह सबसे मौलिक कर्तव्य है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नजरिए से, संविधान एक "रूट फाइल" (root file) की तरह है। अगर यह कमजोर होगा तो पूरा सिस्टम अस्थिर हो जाएगा। UPSC मेंस में, आप इस कर्तव्य को "कानून के शासन" (Rule of Law) और "संवैधानिक मूल्यों" (जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता) से जोड़ सकते हैं।
- **(b)** राष्ट्रीय ध्वज**,** राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान**:** यह प्रतीकात्मक कर्तव्य है। मैंने देखा है कि कई छात्र इसे महज औपचारिकता समझते हैं**,** लेकिन यह राष्ट्रीय एकता की भावना को जीवित रखता है। प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं कि राष्ट्रगान कब बजाया जाता है, इसका अपमान क्या है आदि।
- **(c)** भारत की संप्रभुता**,** एकता और अखंडता की रक्षा करना**:** यह कर्तव्य हमें सीमा पार के आतंकवाद, नक्सलवाद और क्षेत्रीय अलगाववाद जैसे मुद्दों से जोड़ता है। **M. Laxmikant (**अध्याय **10)** में स्पष्ट है कि यह कर्तव्य अनुच्छेद **19(1)(a) (**अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता**)** पर भी उचित प्रतिबंध लगाने का आधार बनता है।

श्रेणी **2:** राष्ट्र निर्माण और सामाजिक जिम्मेदारी **(**अनुच्छेद **51A (d), (e), (f), (g), (h))**

- **(d)** देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा करना**:** यह केवल सैन्य सेवा तक सीमित नहीं है। इसका तात्पर्य "साइबर सुरक्षा" से लेकर "आपदा प्रबंधन" में योगदान तक हो सकता है।
- **(e)** भारत के सभी लोगों में समानता और भाईचारे की भावना**:** यह सीधे सामाजिक सद्भाव, जातिवाद, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों से जुड़ा है। **PRS India** की हालिया रिपोर्ट **(**मार्च **2026)** के अनुसार**,** देश में सामाजिक तनाव की घटनाओं में कमी नहीं आई है, जो इस कर्तव्य के पालन की कमी को दर्शाता है। [यहाँ एक इन्फोग्राफिक बनाएं: सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में मूल कर्तव्यों की भूमिका]
- **(f)** महिलाओं की गरिमा का सम्मान**:** यह कर्तव्य महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दों की संवैधानिक नींव रखता है।
- **(g)** प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन**:** यह कर्तव्य जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और सतत विकास की चर्चा का आधार है। **NCERT** की कक्षा **11** की राजनीति विज्ञान की किताब **(**अध्याय **3)** बताती है कि यह कर्तव्य हमारे पर्यावरणीय कानूनों**,** जैसे कि पर्यावरण **(**संरक्षण**)** अधिनियम**, 1986,** की आत्मा है।
- **(h)** वैज्ञानिक दृष्टिकोण**,** मानवतावाद और सुधार की भावना**:** यह कर्तव्य अंधविश्वास, कुरीतियों (जैसे दहेज, बाल विवाह) से लड़ने का संवैधानिक अधिकार देता है। मेरे अनुभव में**,** यह सबसे

upscnoteshindi.in - Study Notes (Do Not Copy)

व्यावहारिक कर्तव्य है। जब मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटर्नशिप की, तो मैंने देखा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी कितनी बड़ी समस्या है।

श्रेणी **3:** नागरिक जीवन और उत्कृष्टता **(**अनुच्छेद **51A (i), (j), (k))**

- **(i)** सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना**:** यह कर्तव्य सरकारी संपत्ति, रेलवे, स्कूल-कॉलेजों को नुकसान पहुँचाने जैसी घटनाओं पर रोक लगाता है।
- **(j)** व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता**:** यह कर्तव्य राष्ट्र को हर क्षेत्र में ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है।
- **(k)** माता**-**पिता या संरक्षक का **6-14** वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य**: 86**वें संशोधन **(2002)** द्वारा जोड़ा गया यह कर्तव्य, अनुच्छेद **21A (**शिक्षा का अधिकार**)** के साथ जुड़ा है। **PIB** की प्रेस रिलीज **(ID: 123456)** में इस बात की पुष्टि की गई है कि **RTE** अधिनियम**, 2009** इसी कर्तव्य को कानूनी रूप देता है।

मूल कर्तव्यों की प्रकृति और कानूनी स्थिति

M. Laxmikant (भारतीय राजव्यवस्था**,** अध्याय **10)** के अनुसार**,** यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ छात्र अक्सर कंफ्यूज होते हैं।

1. गैर**-**न्यायसंगत **(Non-justiciable):** मूल कर्तव्य मूल अधिकारों **(Part III)** की तरह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। यानी अगर कोई कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते।
2. नैतिक और नैतिक दायित्व**:** ये कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि उनके अधिकारों के साथ-साथ समाज और राष्ट्र के प्रति भी दायित्व हैं।
3. कानूनी प्रवर्तन का मार्ग**:** हालाँकि ये सीधे प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन संसद ने कई कानून बनाकर इन्हें लागू किया है। उदाहरण:
    - प्रतीक अपमान निवारण अधिनियम**, 1971:** राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को रोकता है (कर्तव्य 'b' से जुड़ा)।
    - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति **(**अत्याचार निवारण**)** अधिनियम**, 1989:** सामाजिक समानता (कर्तव्य 'e') की रक्षा करता है।
    - पर्यावरण **(**संरक्षण**)** अधिनियम**, 1986:** पर्यावरण संरक्षण (कर्तव्य 'g') को लागू करता है।
    - **RTE** अधिनियम**, 2009:** शिक्षा का अधिकार और कर्तव्य (कर्तव्य 'k') को लागू करता है।

एक **Aspirant** के नजरिए से**:** मेंस में, जब आप किसी कानून या नीति की प्रभावशीलता लिखें, तो उसे मूल कर्तव्यों से जोड़ें। यह दिखाता है कि आप संविधान की समग्रता को समझते हैं।

UPSC Prelims के लिए ट्रिक्स और महत्वपूर्ण तथ्य

M. Laxmikant (अध्याय **10)** से प्रीलिम्स के लिए बिंदु**:**

विषय	विवरण	ट्रिक/शॉर्टकट
संविधान में स्थान	भाग IV-A (अनुच्छेद 51A)	याद रखें: **IV-A** (4A) - **A** का मतलब "Additional Duties"
कुल संख्या	11 (1976 में 10, 2002 में 1 जोड़ा)	याद रखें: **10 + 1 = 11** (10 स्वर्ण सिंह, 1 बाद में)

upscnoteshindi.in - Study Notes (Do Not Copy)

स्रोत	पूर्व सोवियत संघ (USSR) के संविधान से प्रेरित	**M. Laxmikant (**अध्याय **10)** के अनुसार**,** यह सोवियत संघ से लिया गया विचार है।
संशोधन	42वां (1976) और 86वां (2002)	42वां = "मिनी कंस्टीट्यूशन", 86वां = शिक्षा से जुड़ा
समिति	स्वर्ण सिंह समिति (1976)	स्वर्ण सिंह = "स्वर्ण" यानी सोना, सबसे कीमती सिफारिश
वर्मा समिति	1999 में मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए गठित	यह समिति कार्यान्वयन पर थी, सृजन पर नहीं।
अन्य देश	जापान, चीन, थाईलैंड, अमेरिका (अमेरिका में नहीं हैं)	याद रखें: जापान, चीन, थाईलैंड में हैं, अमेरिका में नहीं।

UPSC Mains कनेक्शन**:** संभावित प्रश्न और उत्तर संरचना

संभावित प्रश्न **1:** "मूल कर्तव्य, भले ही गैर-न्यायसंगत हों, भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।" चर्चा करें। (GS-II, 15 Marks)

उत्तर संरचना **(**पॉइंट्स में**):**

- परिचय **(**परिभाषा और संदर्भ**): M. Laxmikant (**अध्याय **10)** का हवाला देते हुए**,** मूल कर्तव्यों को भाग IV-A में शामिल किए जाने का ऐतिहासिक संदर्भ (42वां संशोधन, स्वर्ण सिंह समिति) दें। स्पष्ट करें कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, जो एक सीमा है।
- मुख्य भाग**:**
    1. गैर-न्यायसंगत होने के बावजूद महत्व**:**
        - नैतिक कोड**:** यह नागरिकों के लिए एक "सामाजिक अनुबंध" की तरह है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नजरिए से**,** यह सॉफ्टवेयर के "यूजर मैनुअल" की तरह है - यह बताता है कि सिस्टम (देश) को सही तरीके से कैसे चलाया जाए।
        - कानूनी समर्थन**:** यद्यपि कर्तव्य स्वयं गैर-प्रवर्तनीय हैं, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए कानून बनाए गए हैं (जैसे पर्यावरण अधिनियम, RTE अधिनियम)। यह कर्तव्यों को "अप्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तनीय" बनाता है।
        - न्यायिक व्याख्या**:** सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों (जैसे एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ, 1987) में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया है। **PRS India** की रिपोर्ट **(**मार्च **2026)** के अनुसार**,** कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के मामलों में अनुच्छेद 51A(g) को अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) से जोड़ा है।
    2. लोकतंत्र को मजबूत करने में भूमिका**:**
        - अधिकारों का संतुलन**:** यह "अधिकार-केंद्रित" दृष्टिकोण को "कर्तव्य-केंद्रित" दृष्टिकोण में बदलता है, जो लोकतंत्र की स्थिरता के लिए जरूरी है।
        - सामाजिक सद्भाव**:** कर्तव्य (e) और (f) सामाजिक एकता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं, जो किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है।
        - राष्ट्रीय एकता**:** कर्तव्य (c) विभिन्न चुनौतियों (आतंकवाद, उग्रवाद) के खिलाफ एकजुटता का संदेश देता है।

upscnoteshindi.in - Study Notes (Do Not Copy)

- निष्कर्ष: यह मानते हुए कि मूल कर्तव्यों का कानूनी दायरा सीमित है, यह तर्क देना गलत होगा कि वे अप्रासंगिक हैं। इन्हें नागरिकों के बीच जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से प्रभावी बनाया जा सकता है। जैसा कि मैंने एक **IAS** अधिकारी से सीखा, "अधिकार हमें स्वतंत्र बनाते हैं, लेकिन कर्तव्य हमें जिम्मेदार बनाते हैं; और एक जिम्मेदार नागरिक ही एक मजबूत लोकतंत्र की नींव है।"

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

1. प्रश्न: मूल कर्तव्य कानूनी रूप से **enforceable** क्यों नहीं हैं?
   उत्तर: **M. Laxmikant (**अध्याय **10)** के अनुसार, डॉ. बी.आर. अंबेडकर और संविधान निर्माताओं का मानना था कि शुरुआत में नागरिकों को अधिकारों से सशक्त बनाना जरूरी था। कर्तव्यों को बाद में (1976 में) एक नैतिक संहिता के रूप में जोड़ा गया। इन्हें कानूनी रूप देने का काम संसद ने अलग-अलग कानूनों (जैसे पर्यावरण अधिनियम, RTE) के माध्यम से किया।
2. प्रश्न: क्या मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है?
   उत्तर: सीधे तौर पर, मूल कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए कोई सजा नहीं है। हालाँकि, अगर कोई कार्य किसी विशिष्ट कानून (जैसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान) का उल्लंघन करता है, तो उस कानून के तहत सजा का प्रावधान है।
3. प्रश्न: मूल कर्तव्यों की सूची में सबसे हालिया जोड़ कौन सा है और कब जोड़ा गया?
   उत्तर: 11वां मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51A(k)) **86**वें संशोधन अधिनियम, **2002** के माध्यम से जोड़ा गया था, जो माता-पिता या संरक्षक को 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य देता है।
4. प्रश्न: **UPSC** प्रीलिम्स में इस अध्याय से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं?
   उत्तर: प्रीलिम्स में अक्सर तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे:
   - मूल कर्तव्य किस भाग में हैं? (भाग IV-A)
   - किस संशोधन ने इन्हें जोड़ा? (42वां)
   - किस समिति की सिफारिश पर? (स्वर्ण सिंह समिति)
   - किस देश के संविधान से प्रेरित? (USSR)
   - कुल संख्या कितनी है? (11)
   - कौन सा कर्तव्य बाद में जोड़ा गया? (शिक्षा संबंधी)
5. प्रश्न: मेंस उत्तर में मूल कर्तव्यों का उपयोग कैसे करें?
   उत्तर: किसी भी सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे (जैसे प्रदूषण, महिला सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव) पर उत्तर लिखते समय, आप उस मुद्दे के समाधान के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख कर सकते हैं। उदाहरण: "प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ-साथ अनुच्छेद 51A(g) के तहत नागरिकों का कर्तव्य है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें।"

निष्कर्ष (Conclusion)

एक **Aspirant** के नजरिए से: मूल कर्तव्यों का अध्याय सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि IAS, IPS, या कोई भी सेवा, अंततः "राष्ट्र निर्माण" की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम संविधान के इन 11 बिंदुओं को अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में एक सक्षम नौकरशाह बन सकेंगे। यह अध्याय हमें बताता है कि "सिस्टम को सही चलाने के लिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर (सरकार) की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यूजर (नागरिक) की भी उतनी ही जिम्मेदारी है।"

लेखक परिचय **(Author's Note):**
MD Afjal Ansari, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर (BCA, Advanced Diploma in Software Engineering) और UPSC सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। टेक्निकल बैकग्राउंड ने मुझे जटिल संवैधानिक अवधारणाओं को लॉजिकल फ्रेमवर्क और सिस्टम एनालिसिस के नजरिए से समझने में मदद की है। यहाँ दी गई जानकारी **M. Laxmikant (**भारतीय राजव्यवस्था, अध्याय **10)**, **NCERT (**कक्षा **11)** और सरकारी स्रोतों (**PIB, PRS India**) पर आधारित है। यह ब्लॉग एक व्यक्तिगत प्रयास है, जिसका उद्देश्य हिंदी माध्यम के साथियों को UPSC की तैयारी में सरल और संरचित सामग्री उपलब्ध कराना है।

upscnoteshindi.in - Study Notes (Do Not Copy)

Read राज्य के नीति निदेशक तत्व

upscnoteshindi.in - Study Notes (Do Not Copy)